



भारत सरकार,
कर्मचारी चयन आयोग,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
ब्लॉक स० 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

Government of India,
Staff Selection Commission
Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Dept. Of Personnel and Training
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2019

शुद्धिपत्र

फा.संख्या 3-4/2019-नीति एवं योजना-1 (खंड-1): अभ्यर्थी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2019 की विज्ञप्ति को देखें। परीक्षा की विज्ञप्ति के संबंधित पैरा (पैराओं) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

| पैरा सं./ क्र. सं. | विभाग/कार्यालय तथा पद का नाम | पद के लिए अनुमत्य शारीरिक दिव्यांगताओं की प्रकृति | |
|--------------------|---|--|---|
| | | के स्थान पर | पढ़ा जाए |
| 2.2 (5) | सहायक अनुभाग अधिकारी (रेल मंत्रालय) | एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, अल्प दृष्टि और श्र.दि. | दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि, पूर्ण बधिर (पूर्ण रूप से बधिर), सुनने में कठिनाई (श्र.दि.), एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर, मांसपेशियों की कमजोरी, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, तेजाब हमले के पीड़ित और (एक बांह, अल्प दृष्टि), (एक पैर, अल्प दृष्टि), (एक बांह, श्र.दि.), (एक पैर, श्र.दि.) तथा (अल्प दृष्टि., श्र.दि.) |
| 2.2 (7) | सहायक अनुभाग अधिकारी (सशस्त्र सेना मुख्यालय) | एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह और एक पैर, अल्प दृष्टि और श्र.दि. | दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि, बधिर, श्र.दि., एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, तेजाब हमले के जले पीड़ित, मांसपेशियों का दुर्विकास, मांसपेशियों की कमजोरी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बधिर-दृष्टिहीनता को छोड़कर उपर्युक्त में से बहुदिव्यांगताएं |
| 2.2 (17) | डाक निरीक्षक | पद दिव्यांग | अल्प दृष्टि, सुनने में कठिनाई |

| | | | |
|----------|---|--|---|
| | (डाक विभाग) | अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। | (श्र.दि.), एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, अभिसाधितकुष्ठ बौनापन, तेजाब हमले के जले पीड़ित, उपर्युक्त दिव्यांगताओं में से बहुदिव्यांगताएं |
| 2.3 (19) | सहायक (भारतीय भू सर्वेक्षण) | एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह और एक पैर, अल्प दृष्टि और श्र.दि. | एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह और एक पैर, अल्प दृष्टि और श्रवण दिव्यांग, दोनों पैर, एक बांह, तेजाब हमले के जले पीड़ित (एवी), तेजाब हमले के पीड़ित +श्र.दि., श्र.दि. +एक बांह, श्र.दि. + एक बांह एक पैर, तेजाब हमले के पीड़ित +दृष्टिहीन, तेजाब हमले के पीड़ित + अल्प दृष्टि |
| 2.3 (21) | प्रभागीय लेखाकार (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय) | एक पैर, आंशिक बधिर, बधिर | एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनो पैर, आंशिक बधिर और बधिर |
| 2.4 (25) | लेखा परीक्षक (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय) | एक बांह, एक पैर, दोनों पैर और श्र.दि. | एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर और श्र.दि. |
| 2.4 (28) | लेखाकार (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय) | एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर, दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि और श्र.दि. | एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर और श्र.दि. |

2. विज्ञप्ति की अन्य विषय-वस्तु यथावत रहेगी।

अवर सचिव (नीति एवं योजना- I)

22.11.2019



भारत सरकार,
कर्मचारी चयन आयोग,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
ब्लॉक स. 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

Government of India,
Staff Selection Commission
Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Dept. Of Personnel and Training
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2019

शुद्धि-पत्र

फा. सं. 3-4/2019--नी.एवं यो.-1 (खंड-1): अभ्यर्थी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2019 के संदर्भ में जारी दिनांक 22.11.2019 के शुद्धि-पत्र का अवलोकन करें। उसमें निम्नलिखित संशोधन किया गया है:

| पैरा सं./ क्र. सं. | पदनाम और विभाग/कार्यालय | पद के लिए अनुमत्य शारीरिक दिव्यांगताओं की प्रकृति | शारीरिक आवश्यकताएं |
|-----------------------|---|--|--|
| 2.2 (7) | सहायक अनुभाग अधिकारी (सशस्त्र सेना मुख्यालय) | दृष्टिहीन, अ.दृ., बधिर, श्र.दि., ए.बां., ए.पै., ए.बा.ए.पै., दो.पै., प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, तेजाब हमले के पीड़ित, मांसपेशियों का दुर्विकास, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बधिर-दृष्टिहीनता को छोड़कर उपर्युक्त में से बहुदिव्यांगताएं | बैठना, खड़े होना, चलना, पढ़ना व लिखना, देखना, संप्रेषण, श्रवण |

2. विज्ञप्ति की अन्य विषय-वस्तु यथावत रहेगी।

अवर सचिव (नीति एवं योजना- I)

04.02.2020